


287

163

279

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(रीवा सर्किट कोर्ट रीवा)



Rs. 307-

हरी प्रसाद पिता रामनाथ साह, सा० गहिलगढ़ पश्चिम पटवारी हल्का
चन्द्रावल राजस्व निरीक्षक मण्डल बैढन थाना विन्ध्यनगर तह० व जिला
सिंगरौली (म०प्र०)

आवेदक

RS497-II/16

बनाम

- 1- जवाहरलाल साह पिता नेतलाल साह, निवासी ग्राम गहिलगढ़
पश्चिम तह० व जिला सिंगरौली (म०प्र०)
- 2- म०प्र० शासन

अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल
बैढन तह० सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्र०क्र०
69/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक
29.09.2016

अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू.रा.स.1959 ई०

आवेदक हरी प्रसाद
द्वारा देखा 15-11-16

मान्यवर

प्रकरण के तथ्य निम्नलिखित हैं :-

- 1- यह कि भूमि खसरा क्रमांक 435 रकवा 0.04 हे स्थित ग्राम गहिलगढ़
पटवारी हल्का चन्द्रावल राजस्व निरीक्षक मण्डल बैढन, जिला
सिंगरौली के मालिक भूमिस्वामी अनावेदक क्रमांक 01 है, तथा भूमि
खसरा नं० 365 के सीमावर्ती कास्तकार भूमिस्वामी आवेदक एवं
रामप्रताप है। अनावेदक क्रमांक 01 ने राजस्व निरीक्षक मण्डल बैढन
तह० सिंगरौली में भूमि खसरा नं० 435 के सीमांकन (पैमाईश) हेतु
आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें राजस्व निरीक्षक मण्डल बैढन ने
दिनांक 22.07.2015 को सीमांकन की पुष्टिकरण का आदेश प्रकरण

हरी प्रसाद

163

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... बिग 0 5497/II/16/सिंगरौली/भू-राज... जिला... सिंगरौली

..... श्री प्रसाद साह विरुद्ध उमराल साह

1	2	3
16-1-19 -	<p>1. आवेदक की ओर से श्री... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त... तहसील... के प्रकरण क्रमांक... में पारित आदेश दिनांक... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक... को कलेक्टर... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य